न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 461/2022

दायर दिनांक 09.11.2022

निर्णय दिनांक 02.05.2025

उनवान

1. मै. भीलवाड़ा टेक्सपार्क डवलपर्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्री नवनीत सोमानी पिता जगदीशप्रसाद जी सोमानी निवासी श्री क्लोथ मार्केट, बादल टॉकीज के सामने पुर रोड़ भीलवाड़ा

-- प्रार्थी

बनाम

1. दिलीप पिता रामराय जी काबरा उम्र वयस्क निवासी श्रीनाथ मंदिर के पास मियाचंद जी की बावडी के पास महेश कोलोनी भीलवाड़ा
2. राजकुमार पिता रामराय जी काबरा उम्र वयस्क निवासी श्रीनाथ मंदिर के पास, मियाचंद जी की बावड़ी के पास, महेश कोलोनी, भीलवाड़ा
3. विनोदराम पिता रामराय जी काबरा उम्र वयस्क निवासी श्रीनाथ मंदिर के पास मियाचंद जी की बावड़ी के पास, महेश कोलोनी, भीलवाड़ा
4. संजयकुमार पिता रामराय जी काबरा उम्र वयस्क निवासी श्रीनाथ मंदिर के पास, मियाचंद जी की बावडी के पास, महेश कोलोनी, भीलवाड़ा।
5. श्रीमती जमनीबाई पत्नी उदयराम गाड़री निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. महावीरप्रसाद पिता कन्हैयालाल जी नागला निवासी चन्द्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा
7. कृति पुत्री नवनीत कुमार जी सोमानी निवासी 94/1 सुभाषनगर भीलवाड़ा
8. छीतर पिता गुलाब गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. डालचंद पिता रूगनाथ गाड़री निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. मुलचंद पिता माधु गाडरी निवासी बिलियाखुर्द तहसील व भीलवाडा व जिला भीलवाडा।
11. मांगीदेवी पत्नी देबीलाल गाड़री निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा

-- विपक्षीगण

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री भैरूलाल बापना उपस्थित।
2. अधिवक्ता विपक्षी सं0 05 श्री उदयसिंह चारण उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 01 से लगा. 04, 08 व 09 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिलियाखुर्द, पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला–भीलवाड़ा के आराजी संख्या 1255/3 रकबा 2.5290 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 05 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 06, 07, 10 ने जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में आपत्ति प्रकट नहीं की है। विपक्षी संख्या 05 ने जवाब पेश कर अंकित किया है कि आराजी नम्बर 1255/3 की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने से पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 व 06 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आराजी नम्बर 1255/3 के सम्बन्ध में वाद स ख्या 159/2022 व प्रार्थना पत्र 465/2022 विचाराधीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 एल0आर0एक्ट का खारिज किया जावें। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। विपक्षी संख्या 05 के अधिवक्ता की आपत्ति खारिज की जाती है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिलियाखुर्द, पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला–भीलवाड़ा के आराजी संख्या 1255/3 रकबा 2.5290 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा